भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3686
(17 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों हेतु आवास

3686. श्री अप्पासाहेब शंकर जोल्लेः
श्री इंद्रा हांग सुब्बाः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के सभी गरीबों को समयबद्ध तरीके से आवास प्रदान करने के लिए एक स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रही है;
(ख) यदि हां, तो क्या देश के सभी लोगों के पास योजनानुसार वर्ष 2022 तक अपने आवास होंगे या इस योजना को वास्तविकता बनाने के लिए सरकार को अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) वर्ष 2022 तक 20 मिलियन आवासों का निर्माण करने के लिए पीएमएवाई-जी योजना तक लोगों की पहुंच नहीं होने या इस योजना के पूरे लाभों को प्राप्त करने में उनके सक्षम नहीं होने के मुद्दे से सरकार किस प्रकार निपटेगी?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): वर्ष 2022 तक ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय 01.04.2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित कर रहा है जिसका लक्ष्य दो चरणों में 2.95 करोड़ मकान का निर्माण करना है अर्थात चरण-। (2016-17 से 2018-19 तक) 1.00 करोड़ मकान और चरण-।। (2019-20 से 2021-22 तक) में 1.95 करोड़ मकान। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लक्ष्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2.21 करोड़ का लक्ष्य दिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 16.03.2020 तक 99.06 लाख पीएमएवाई-जी मकान बना लिए हैं। पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ मकान बनाने की समय-सीमा को बढ़ाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। ।

सरकार ने लाभार्थियों की मृत्यु, स्थायी और अस्थायी पलायन, अनइच्छुक लाभार्थियों इत्यादि के संबंध में पीएमजीएसवाई के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं। तथापि, पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के उद्देश्यों से सरकार ने कई पहल तथा अभिनव उपाए किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. एमआईएस-आवाससॉफ्ट का प्रयोग करके एं□-टू-एं□ ई-गवर्नेंस मॉ□ल के जरिए योजना का कार्यान्वयन एवं निगरानी

ii. मकान निर्माण की पूर्व-निर्धारित प्रत्येक अवस्था में जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ अपलो□ करके मकान निर्माण की साक्ष्य आधारित निगरानी

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों स्तर पर पीएमएवाई-जी का एकल बैंक खाता (राज्य नो□ल खाता) जिसमें □ीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में सहायता अंतरित की जाती है।

iv. ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर प्रशिक्षित राजमिस्त्री की उपलब्धता बढ़ाना।

v. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत मकानों की बेहतर निगरानी करने, सहयोग करने की जिम्मेदारी क्षेत्र-स्तरीय कर्मियों को दी जाती है, जिससे मकान समय पर बन सके।

vi. बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों को पुरस्कार देना।

vii. कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अलग-अलग पहलुओं की भौगोलिक रूप से तथा मानदं□-वार निगरानी करने के उद्देश्य से निष्पादन सूचकांक □शबो□ बनाया गया है जिसमें निष्पादन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दैनिक आधार पर रैंक दिया जाता है जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भावना पैदा होती है और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है।

viii. जलवायु, भौगोलिक स्थिति, मकान बनाने के सांस्कृतिक एवं पारंपरिक तरीके तथा आपदा सहन करने की क्षमता पर आधारित अलग-अलग हाउस □जाइन टाइपोलॉजी उपलब्ध कराकर लाभार्थियों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना।

****